

भारत सरकार के मेवांडे

POB.



प्रेषक:-

आगरालिय ज़िला शिक्षा अधिकारी

ग्राम्यशिक्षा उदयपुर (राज.)

कार्यालय ज़िला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, उदयपुर

क्रमांक: जिशिअ/प्राशि/उदय/शैप्र./2012/ 257

दिनांक:—27.08.2012

प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक

विकासनन्दकेन्द्रमा वि त्रिष्टुतेव  
प.सि. त्रिष्टुतेव, उदयपुर

विषय:— आपकी संस्था के मान्यता की नवीनीकरण के संबंध में।

स्थानीय कार्यालय को आप द्वारा मान्यता के सन्दर्भ में प्रस्तुत किये गये स्वघोषणा पत्र के आधार पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की पालना की शर्त पर आपकी मान्यता का दिनांक 31.03.2013 तक का अस्थाई रूप से नवीनीकरण किया जाता है।

आर.टी.ई.एक्ट 2009 के अन्तर्गत आपके विद्यालय को विहित मापदण्डों की पालना 31.03.2013 तक पूर्ण करना अनिवार्य है। यदि 31.03.2013 तक आर.टी.ई.एक्ट 2009 के सभी नापदण्ड आपके विद्यालय द्वारा पूर्ण नहीं किये जाते हैं तो आपकी मान्यता राजकीय नियमों के प्रावधान अनुसार रद्द करने की कार्यवाही की जा सकेगी, जिसके लिए आपकी संस्था पूर्ण रूपेण स्वयं उत्तरदायी होगी। आपके स्वघोषणा पत्र के सत्यापन के पश्चात् आपको प्रपत्र दो में सूचना पृथक से दी जावगाँ।

ज़िला शिक्षा अधिकारी  
प्रारम्भिक शिक्षा उदयपुर